तोता देवी बनाम मक्खन मु.नं. 26/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3-2-25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 4.3.25 को पेश हो।	
4.3.25 [signatures]	पत्रावली पेश। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने निर्णय हेतु सहमति दी। बहस हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.3.25 को पेश हो। [signature]	
10.3.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 26 / 2023

1 तोता देवी पत्नी स्व. पूर्णमल (नाम हजफ दिनांक 20.12.2024)
2 मुरारीलाल पुत्र स्व. पूर्णमल
3 पुष्पा पुत्री स्व. पूर्णमल
4 सुशीला पुत्री स्व. पूर्णमल
5 पूजा पुत्री स्व. पूर्णमल
6 योगेश पुत्र स्व. पूर्णमल
7 योगराज पुत्र स्व. पूर्णमल
समस्त जाति धोबी निवासीगण उपरला का बास तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मक्खन पुत्र स्व. रिछपाल (मृतक)
1/1 गीता पत्नी स्व. मक्खन
1/2 रोहिताश पुत्र स्व. मक्खन
1/3 रतनलाल पुत्र स्व. मक्खन
1/4 बाबुलाल पुत्र स्व. मक्खन
2 प्रकाश पुत्र स्व. रिछपाल
3 जगदीश पुत्र स्व. रिछपाल दत्तक पुत्र प्रभुदयाल
4 नरेश पुत्र स्व. किशनलाल पुत्र रिछपाल
5 मुकेश पुत्र स्व. किशनलाल पुत्र रिछपाल
6 अशोक पुत्र स्व. किशनलाल पुत्र रिछपाल
7 पूनम पुत्री स्व. किशनलाल पुत्र रिछपाल
8 नीलम पुत्री स्व. किशनलाल पुत्र रिछपाल
9 सरला पत्नी स्व. किशनलाल पुत्र रिछपाल
10 रवि पुत्र स्व. दीपाराम
11 कमल पुत्र स्व. दीपाराम

12 राजेन्द्र पुत्र स्व. मोहनलाल
13 सुभाष पुत्र स्व. हरफूल
14 कान्ता पुत्री स्व. हरफूल
15 विमला पुत्री स्व. हरफूल
16 ज्योति पुत्री स्व. हरफूल
17 सुमित्रा पुत्री स्व. हरफूल
18 नन्दलाल पुत्री स्व. छोटूराम
19 भागीरथ पुत्र स्व. छोटूराम
समस्त जाति धोबी निवासीगण उपरला बास तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
20 तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
21 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर राजस्व वाद संख्या 237/2021 बउनवानी तोता देवी आदि बनाम मक्खन आदि पीठासीन अधिकारी बृजेश कुमार आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नीलमचंद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 237/2021 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 9/1710, 9/1712, 9/1715, 9/1718, 9/1721, 9/1723, 9/1725 जिसके नये खसरा नम्बर 11, 13, 16, 19, 23, 25, 26 वाके ग्राम सिरोही का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रकरण सहमति से रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है उभयपक्ष ने वरवक्त बहस सहमति व्यक्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड करने का निवेदन किया है। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर भी किये है।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन

निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर